राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

सीआईएन : **U40104RJ2015SGC048738**

द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17

पंजीकृत कार्यालय : विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर–302005

Email : mdruvnl@gmail.com

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

सीआईएनः **U40104RJ2015SGC048738**

द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17

निगम की जानकारी

निदेशक मण्डल

श्री संजय मल्होत्रा, आईएएस	(डीआईएनः 00992744)	अध्यक्ष
श्री श्रीमत पाण्डे, आईएएस (सेवानिवृत्त)	(डीआईएनः 00411662)	निदेशक
श्री प्रवीण गुप्ता, आईएएस	(डीआईएनः 03521006)	निदेशक
श्री बसन्त कुमार दोसी, आईएएस (सेवानिवृत्त)	(डीआईएनः 06846819)	निदेशक
श्री नगीन कुमार कोठारी	(डीआईएनः 07649438)	निदेशक
श्री राम गोपाल गुप्ता	(डीआईएनः 00173937)	निदेशक
सुश्री आरती डोगरा, आईएएस	(डीआईएनः 02821192)	निदेशक
श्री भागीरथ मल भामू	(डीआईएनः 07972306)	निदेशक
श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव	(डीआईएनः 07673675)	निदेशक एवं सीईओ
श्री सर्वेश कुमार तिवाड़ी	(डीआईएनः 06860955)	निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी

कम्पनी सचिव

श्रीमति शिल्पा सौगानी (सदस्य संख्या एफ8577)

वैधानिक अंकेक्षक

मैसर्स बाफना एण्ड एसोसिएटस् (एफआरएन 001408सी)
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर
101, अनुकम्पा मेन्सन, जयपुर–302001

बैंक

भारतीय स्टेट बैंक

पंजीकृत कार्यालय

सीआईएनः U40104RJ2015SGC048738
पंजीकृत कार्यालयः विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर 302005
दूरभाष संख्याः +91 141–2743144, फेक्स संख्याः +91 141–2744347
ई–मेलः mdruvnl@gmail.com
वेबसाइटः www.energy.rajasthan.gov.in/ruvnl

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय–वस्तु	पृष्ठ सं.
1.	मण्डल का प्रतिवेदन	1–17
2.	सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन	18–21
3.	वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन	22–30
4.	31 मार्च, 2017 को तुलन–पत्र	31–32
5.	31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ/हानि का विवरण	33–34
6.	31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण	35–36
7.	महत्त्वपूर्ण लेखानीतियां एवं लेखो पर टिप्पणियाँ	37–51
8.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियाँ	52

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

कोर्पोरेट आईडेन्टिटी नं. – U40104RJ2015SGC048738

मण्डल का प्रतिवेदन

सदस्यगण,

आपके निदेशकों को कम्पनी के कारोबार एवं संचालन एवं निष्पादन पर 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित लेखा विवरणों के साथ द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2016–17 साथ ही पूर्व वर्ष के लिये कम्पनी के कार्यकारी परिणामों की तुलनात्मक स्थिति नीचे उल्लिखित है:

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये वित्तीय विशिष्टताएं **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिये
कुल आय	10,27,08,004.00	0.00
ह्रास के पहले कुल व्यय	10,18,63,599.00	0.00
ह्रास एवं कर के पहले लाभ/(हानि) (पीबीडीटी)	8,44,405.00	0.00
घटाइये: ह्रास एवं परिशोधन व्यय	36,170.00	0.00
अवधि हेतु लाभ/(हानि)	8,08,235.00	0.00
जोड़िये/घटाइये: अपवादात्मक मदें एवं असाधारण मदें	8,08,235.00	0.00
कर के पहले लाभ/(हानि)	0.00	0.00
घटाइये: कर हेतु प्रावधान	0.00	0.00
कर के पश्चात् लाभ/(हानि)	0.00	0.00
मूल एवं मन्दित ईपीएस	0.00	0.00

2. संचालनों की समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, गत वर्ष की शून्य रूपये की तुलना में कम्पनी ने संचालनों से 90675728 रूपये की आय अर्जित की है। वर्ष के दौरान, कम्पनी अपने स्वयं की ओर से विद्युत ट्रेडिंग गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया है। वर्ष के दौरान, आरयूवीएनएल डिस्कोमों के विद्युत सहभाजन अनुपात में संबंधित डिस्कोमों से धन प्राप्त कर, डिस्कोमों की ओर से विद्युत उत्पादकों को उनके विद्युत क्रय बिलों का भुगतान

करने के कार्य का संचालन कर रहा है। नीति के अनुसार, कम्पनी डिस्कोमों की ओर से परिचालनात्मक कार्य करने/सेवायें प्रतिपादन करने के तहत् सहमत अनुपात में सेवा प्रभारों के रूप में डिस्कोमों से इसके द्वारा उपगत किये गये शुद्ध परिचालनात्मक व्ययों (बिना किसी लाभ के) को वसूल करेगा। अतः गत वर्ष की शून्य रूपये की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के लिये कर पश्चात् लाभ (पीएटी) को शून्य रूपया रिकार्ड किया गया है। ऊर्जा उद्योग में वर्तमान स्थिति एवं कम्पनी के भावी विकास को सुदृढ़ करने के लिये निदेशक निरन्तर प्रयास कर रहे है।

3. पूंजी

31 मार्च, 2016 को कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी 5,00,00,000/– रूपये (पांच करोड़ रूपये) थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सदस्यों ने 27 मई, 2016 को सम्पन्न हुई उनकी असाधारण साधारण सभा में प्राधिकृत पूंजी को 5 करोड़ रूपये से बढ़ा कर 50 करोड़ रूपये (प्रत्येक 100 रूपयों के 50,00,000 साम्या अंशों में विभाजित) कर दी है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान राजस्थान सरकार से प्राप्त इक्विटी पूंजी के तहत् 45,00,00,000/– रूपये के मूल्य का आवंटन किया गया है। इसलिये, 31 मार्च, 2017 को अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी 50,00,00,000/– रूपये (पचास करोड़ रूपये) हो गई। कम्पनी की समग्र प्रदत्त अंश पूंजी राज्य सरकार द्वारा धारित है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने न तो बोनस शेयर, अधिमान शेयर, विशेषक मतदान अधिकारों के साथ शेयर जारी किये है न ही स्टॉक विकल्प न ही स्वेट इक्विटी स्वीकृत की है।

4. सामान्य रिजर्व में हस्तान्तरित किया गया लाभांश एवं राशि

विनियोग के लिये कोई लाभ उपलब्ध नहीं होने से आपके निदेशकों ने समीक्षाधीन वर्ष के लिये किसी लाभांश की अनुशंसा करने में असमर्थता दर्शायी हैं।

5. निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में बेदावा लाभांश का अन्तरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 (2) के प्रावधान लागू नहीं होते है क्योंकि गत वर्ष कोई भी अदत्त लाभांश शेष नहीं था।

6. निक्षेप

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कम्पनी ने कम्पनी (निक्षेप की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 73 के प्रावधानों की व्यापति के भीतर आने वाली कोई राशि स्वीकृत अथवा नवीकरण नहीं की है। अतः निक्षेपों से संबंधित ब्यौरों साथ ही उन निक्षपों के ब्यौरे जो कि अधिनियम के अध्याय–पंचम की अनुपालना में नहीं है, को शून्य व्यवहारित किया गया है।

7. व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की गई है एवं कम्पनी के व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

8. वार्षिक परिलेख का उद्धरण

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं 134(3)(ए) के अनुसरण में, विहित प्रपत्र एमजीटी–9 में वार्षिक परिलेख का उद्धरण अनुलग्नक –I में दिया गया है एवं इस प्रतिवेदन का अभिन्न अंग है।

9. समेकित वित्तीय विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी की कोई समनुषंगी, संयुक्त उद्यम या सहबद्व कम्पनी नहीं है, इसलिये समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है।

10. धारा 186 के अधीन ऋणों, प्रत्याभूतियों या निवेशों का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधान के अन्तर्गत यथा आवृत्त दिये गये ऋणों एवं किये गये निवेशों के विवरण वार्षिक प्रतिवेदन में दिये गये वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है। (वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 6 देखें)

11. संबंधित पक्षों से संविदाओं अथवा प्रबंध का विवरण

कम्पनी अधिनियम की धारा 188 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कोई संविदा या प्रबंधन/व्यवस्था नहीं है।

12. वैधानिक अंकेक्षक एवं उनका प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

जैसाकि आपकी कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के प्रावधानों के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक ने पत्र संख्या सीए.ट/सीओवाई/राजस्थान, आरयूवीएनएल (1)/1333 दिनांक 02.09.2016 द्वारा मैसर्स बाफना एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, जयपुर को कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये वैधानिक अंकेक्षकों ने कम्पनी लेखों का अंकेक्षण कर लिया है। लेखों पर संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन स्वतः स्पष्ट है एवं इस पर अग्रतर कोई टिप्पणी या स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। अंकेक्षकों के प्रतिवेदन में कोई अर्हकता, आरक्षण एवं प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

31.03.2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु कम्पनी के अंकेक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पत्र दिनांक 26.09.2017 द्वारा शुन्य टिप्पणियां जारी की गयी है। अतः अग्रतर कोई टिप्पणी या स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

13. लागत अंकेक्षण

कम्पनी (लागत अभिलेखा एवं लेखा परीक्षण) संशोधित नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसरण में, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के लिये लागत अंकेक्षण अभिलेखों का संधारण करना लागू नहीं हैं।

14 सचिवीय अंकेक्षण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये मैसर्स रमेश कुमार शिवनानी, कम्पनी सचिव, जयपुर को कम्पनी के यथा सचिवीय अंकेक्षक नियुक्ति किया गया था। सचिवीय अंकेक्षकों का प्रतिवेदन इस प्रतिवेदन के यथा अनुलग्नक– द्वितीय संलग्न है।

15. निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

इस दिनांक को मण्डल की संरचना कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप है।

31 मार्च, 2017 को मण्डल के निदेशकों में 12 सदस्य है जिनमें से 3 कार्यकारी निदेशक है एवं 9 गैर–कार्यकारी निदेशक है।

वर्ष के दौरान श्रीमती शिल्पा सोगानी ने यथा कम्पनी के कम्पनी सचिव का पदभार ग्रहण किया।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कम्पनी के निदेशक मण्डल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुये :

आरयूवीएनएल के निदेशक मण्डल में राजस्थान सरकार ने निम्न निदेशकों का नामनिर्दिष्ट किया है:

निदेशकों का नाम	पद	से
श्री टी.पी.एस. ढिल्लन	पूर्णकालिक निदेशक	06.05.2016
श्री श्रीमत पाण्डे	निदेशक	28.05.2016
श्री अनिल कुमार बोहरा	निदेशक	10.06.2016
श्री बन्ना लाल, आईएएस	प्रबंध निदेशक	18.07.2016
श्री सर्वेश कुमार तिवाड़ी	पूर्णकालिक निदेशक (वित्त)	25.07.2016
श्री मेहा राम विश्नोई	निदेशक	06.10.2016
श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक	24.11.2016
श्री एन.के. कोठारी	निदेशक	07.12.2016

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, श्री टी.पी.एस. ढिल्लन जिनको यथा पूर्णकालिक निदेशक अभिहित किया गया था, कम्पनी के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। 31.07.2017 को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर श्री बन्ना लाल, आईएएस सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गये थे एवं कार्यभार त्यागने पर श्री आर.के. श्रीवास्तव, कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक को राजस्थान सरकार द्वारा आदेश दिनांक 31.07.2017 द्वारा अग्रिम आदेशों तक आरवीयूएनएल के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

कम्पनी (आयूवीएनएल) के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 129(ए) एवं 132 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, श्री आर.पी. सिंह, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीजीसीआईएल एवं श्री सी.वी.आर मूर्ति, निदेशक आईआईटी जोधपुर को कम्पनी के निदेशक मण्डल में यथा स्वतंत्र निदेशकों के नियुक्ति के लिये राजस्थान सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है एवं निदेशक मण्डल ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149,152 अनुसूची–IV एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधान एवं इसके अधीन बनाये नियमों के अनुसार दूसरी वार्षिक साधारण सभा मे इसके लिये सदस्यों की स्वीकृति लेने के लिये अनुशंसा की हैं।

निम्नलिखित निदेशकों की यथा कम्पनी के मण्डल के निदेशक के सेवायें समाप्त हो गयी :

निदेशकों का नाम	पद	समाप्ति की प्रभावी दिनांक
श्री भास्कर ए. सांवत	प्रबंध निदेशक	28.04.2016
श्री एन.एम. माथुर	निदेशक	06.10.2016
श्री हेमन्त कुमार गैरा	निदेशक	28.04.2016
श्री अरूण कुमार गुप्ता	निदेशक	08.02.2017
श्री टी.पी.एस. ढिल्लन	पूर्णकालिक निदेशक	11.08.2016
श्री अनिल कुमार बोहरा	निदेशक	19.04.2017
श्री बन्ना लाल	प्रबंध निदेशक	31.07.2017

मण्डल, उपरोक्त निदेशकों द्वारा मण्डल के सदस्य के रूप में दिये गये बहुमूल्य योगदान की, अभिलेख में गहन प्रशंसा अंकित करता है।

16. निदेशक मण्डल की बैंठकें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के अनुसार, निदेशक मण्डल की 11.04.2016, 23.05.2016, 08.06.2016, 08.07.2016, 30.08.2016, 02.11.2016, 14.12.2016, 14.03.2017, 30.03.2017 को 9 बैंठकें सम्पन्न हुयी थी । मण्डल की बैंठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रहीः

क्र.सं.	निदेशक का नाम	सम्पन्न हुयी बैंठकों की संख्या	बैंठकों में उपस्थित
1.	श्री संजय मल्होत्रा	9	9
2.	श्री श्रीमत पाण्डे	7	5
3.	श्री प्रवीन गुप्ता	9	7
4.	श्री भास्कर ए. सांवत	1	1
5.	श्री बसन्त कुमार दोसी	9	7
6.	श्री राम गोपाल गुप्ता	9	8
7.	श्री एन.एम. माथुर	5	5
8.	श्री हेमन्त कुमार गर्ग	1	1
9.	श्री अरूण कुमार गुप्ता	7	7
10.	श्री टी.पी.एस. ढिल्लन	4	4
11.	सुश्री आरती डोगरा	9	6
12.	श्री अनिल कुमार बोहरा	6	4
13.	श्री बन्ना लाल	5	4
14.	श्री सर्वेश कुमार तिवाड़ी	5	5
15.	श्री मेहा राम विश्नोई	4	4
16.	श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव	3	3
17.	श्री एन.के. कोठारी	3	3

मण्डल कम्पनी के भीतर उपलब्ध सभी संबंधित सूचनाओं पर पूर्ण पहुंच रखता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दो बैंठकों के मध्य मध्यवर्ती अन्तराल कम्पनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित अवधि की भीतर था।

17. अंकेक्षण समिति

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, तीन गैर–कार्यकारी निदेशक एवं एक कार्यकारी निदेशक की अंकेक्षण समिति का गठन किया गया था। तथापि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अंकेक्षण समिति की कोई बैंठक सम्पन्न नहीं हुयी थी।

31.03.2017 को अंकेक्षण समिति की संरचना निम्न प्रकार थीः

1.	श्री संजय मल्होत्रा, आईएएस	अध्यक्ष	सदस्य
2.	श्री बन्ना लाल, आईएएस	प्रबंध निदेशक	सदस्य
3.	श्री एन.के. कोठारी	निदेशक	सदस्य
4.	श्री अनिल कुमार बोहरा	निदेशक	सदस्य

कम्पनी के निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी अंकेक्षण समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य है

18. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी, कम्पनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम की धारा, 135 के मानदण्डों में नहीं आती है अतः निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है।

19. निगरानी तंत्र

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(10) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है।

20. मण्डल मूल्यांकन

मण्डल मूल्यांकन से संबंधित धारा 134(3)(पी) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है।

21. कम्पनी के वित्तीय वर्ष जिससे वित्तीय विवरण संबंधित है, की समाप्ति पर एवं प्रतिवेदन की दिनांक के मध्य होने वाले तात्विक परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं, जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहे हो, यदि कोई हो,:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (1) के अनुसार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति एवं इस प्रतिवेदन की दिनांक के मध्य कोई तात्विक परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं नहीं है जिससे कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही हो।

22. नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा जारी किये गये महत्वपूर्ण एवं सारवान आदेश जो कि चालू समुत्थान प्रास्थिति एवं भविष्य में कम्पनी के संचालन को प्रभावित कर रहे होः

नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई भी एसे महत्वपूर्ण एवं सारवान आदेश जारी नहीं किये गये है जो कम्पनी के संचालनों की चालू समुत्थान प्रास्थिति को भविष्य में प्रभावित करें।

23. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता

कम्पनी ने भारत में सामान्तः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों (जीएएपी) के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण स्थापित कर रखे है एवं रख–रखाव कर रखा है। कम्पनी ने कम्पनी के आकार, स्तर, कम्पनी संचालन की जटिलता और व्यापार की प्रकृति के अनुसार आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली बना रखी है।

कम्पनी की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली, निर्धारित व्यवस्थाओं, स्व–निगरानी तंत्र द्वारा समर्थित है। वह कमियां जो चिन्हित कर ली जाती है उन कमियों को सही करने के लिये प्रबंधन द्वारा उचित कार्यवाही की जाती

है। हम सभी ऑपरेटिंग सिस्टमस् तथा नियंत्रण को और बेहतर बनाने के लिये तंत्रों/प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को उन्नत करने की प्रक्रिया में है।

24. यौन उत्पीडन

कम्पनी लिंग, जाति, पंथ या सामाजिक वर्ग के कर्मचारियों के संबंध में सुरक्षित, स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसरण में कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया हैं।

25. समनुषंगीयां, संयुक्त उद्यम एवं सहबद्ध कम्पनियां

कम्पनी की कोई समनुषंगीयां, संयुक्त उद्यम एवं सहबद्ध कम्पनियां नहीं है।

26. ऊर्जा संरक्षण, प्रौधोगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा की आय व व्यय (अर्जन व निर्गम)

जैसाकि वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई व्यापारिक गतिविधियां नहीं की गयी है, अतः ऊर्जा संरक्षण, प्रौधोगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा की आय व व्यय (अर्जन व निर्गम) के संबंध में कोई विवरण नहीं है।

27. कर्मचारियों का विवरण

कार्पोरेट मामलात मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 05 जून, 2015 के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान एवं इनके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार, सरकारी कम्पनियों को अधिनियम एवं इनके अधीन सूचित नियमों के अन्तर्गत विहित सीमा से अधिक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारियों का विवरण मण्डल के प्रतिवेदन में शामिल करने से छूट है। अतः ऐसे विवरण यथा मण्डल के प्रतिवेदन के भाग के शामिल नहीं किये गये है।

28. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(सी) एवं 134 (5) के अनुसरण में कम्पनी के निदेशक मण्डल अपने सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास से पुष्टि करते है कि –

ए) वार्षिक लेखों के तैयार करने में कम्पनी द्वारा सारवान विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरणों सहित प्रयोज्य लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है।

बी) निदेशकों द्वारा उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है एवं उन्हें सुसंगत रूप से प्रयुक्त किया गया है और 31 मार्च, 2017 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति का सत्य व स्वच्छ परिदृश्य और लाभ व हानि विवरण के सम्बन्ध में कम्पनी के लाभ का उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिये देने के उद्धेश्य से ऐसे निर्णय तथा प्राक्कलन किये गये है जो कि युक्तिसंगत एवं प्रज्ञायुक्त है।

सी) निदेशकों द्वारा कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिए एवं कपट व अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के संधारण हेतु उचित व पर्याप्त सतर्कता/सावधानी बरती गई है।

डी) निदेशकों द्वारा वार्षिक लेखें चालू समुत्थान के आधार पर तैयार किये गये है,

ई) कम्पनी के असूचीबद्ध होने से धारा 134(5) के उप–खण्ड (ई) लागू नहीं है।

एफ) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने हेतु निदेशकों द्वारा उचित प्रणाली की अभिकल्पना की गई है एवं वह समुचित थी एवं प्रभावी रूप से संचालित की जा रही थी।

29. **व्यापारिक संबंध**

कम्पनी सभी स्तरों पर स्वस्थ, सौहार्दपूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध रखती है। निदेशक कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा दिये गये मूल्यवान योगदान का समादर अभिलेखों में अंकित करते है।

30. **जोखिम प्रबंधन**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कम्पनी द्वारा कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की गई थी। तथापि, कम्पनी का निदेशक मण्डल व्यापारिक जोखिमों और अवसरों की शिनाख्त करता है एवं प्रमुख जोखिमों की पहचान, निगरानी, कम करने और रिपोर्ट करने के लिये कुछ प्रक्रियाओं और जोखिम प्रबंधन ढ़ाचा एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का विकास किया है जो कि व्यापार के उद्देश्यों को प्रभावित करते है जो वास्वत में समक्ष प्राधिकारी के नियमों तथा विनियमों पर आधारित है तथा जोखिम के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और कम्पनी के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बढ़ाने के लिये ऐसे सक्रिय कदमों की शुरूआत की है।

31. **आभारोक्ति**

निदेशक, कम्पनी के सहज संचालन के लिये इसके अंशधारियों, भारत सरकार, राजस्थान सरकार, आरईआरसी, सीईआरसी, भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लिमिटेड एवं पॉवर एक्सचेंज इण्डिया लिमिटेड और अन्य विभागों तथा सरकारी प्राधिकारियों सभी स्तरों से प्राप्त महत्वपूर्ण समर्थन के लिये अभिलेख में सच्ची सराहना अंकित करते है एवं कृतज्ञ है।

मण्डल, नियंत्रक एवं महालेखाकार, वैधानिक अंकेक्षकों एवं बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के उनके मूल्यवान सहयोग के लिये भी आभारी है। वे अन्य पावर सेक्टर कम्पनियां अर्थात् राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं तीनों डिस्कोमों–जेवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल एवं एवीवीएनएल के द्वारा दिये गये सतत् समर्थन एवं सही परामर्श का भी आभार प्रकट करता है। मण्डल आरयूवीएनएल के कर्मचारियों एवं सभी विद्युत निगमों से प्रतिनियुक्ति आये कर्मचारियों के समर्पित योगदान एवं सतत् प्रयास का भी सम्मान करता है।

निदेशक मण्डल के निमित्त
राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के लिये
ह0/–
(संजय मल्होत्रा)
अध्यक्ष
डीआईएन–00992744

स्थान :– जयपुर
दिनांक :– **23.10.2017**

मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–I

प्रपत्र संख्या एमजीटी–9

वार्षिक विवरणी का उद्धरण

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष को

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में)

1. पंजीयन एवं अन्य ब्यौरे :

i)	सीआईएन	U40104RJ2015SGC048738
ii)	पंजीयन दिनांक	4 दिसम्बर, 2015
iii)	कम्पनी का नाम	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
iv)	कम्पनी का प्रवर्ग/उप–प्रवर्ग	प्रवर्ग– अंशों द्वारा कम्पनी लिमिटेड उप–प्रवर्ग– राज्य सरकार की कम्पनी
v)	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क हेतु ब्यौरा	विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर 302005 दूरभाष संख्याः +91 141–2743144, +91 141–2744347 ई–मेलः mdruvnl@gmail.com वेबसाइटः www.energy.rajasthan.gov.in/ruvnl
vi)	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है (हां/नही)	नहीं
vii)	रजिस्ट्रार एवं अन्तरण अभिकर्त्ता का नाम, पता तथा संपर्क हेतु ब्यौरा, यदि कोई है	लागू नहीं है

2. कम्पनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

कम्पनी के कुल व्यापारावर्त्त के 10 प्रतिशत या अधिक सहायता करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण :

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/ सेवाओं का वर्णन एवं नाम	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड़	कम्पनी के कुल व्यापारावर्त्त का प्रतिशत
1	ऊर्जा की ट्रेडिंग	35109	वित्तीय वर्ष के दौरान कोई वाणिज्यिक गतिविधि नहीं हुई है।

3. नियंत्री, समनुषंगी तथा सहयुक्त कम्पनी के विवरण

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा पता	सीआईएन/ जीएलएन	नियंत्री/समनुषंगी/ सहयुक्त	धारित अंशो का प्रतिशत	प्रयोज्य धारा
	शून्य	–	–	–	–

4. अंश धारण पद्वति (कुल साम्या का यथा प्रतिशत के साम्या अंश पूंजी का विघटन)

i- श्रेणीवार अंश धारण

अंशधारक का प्रवर्ग		वर्ष के प्रारम्भ में धारित अंशों की संख्या				वर्ष के अन्त में धारित अंशों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन– प्रतिशत में
		डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	
(ए)	**संप्रवर्तक**									
(1)	**भारतीय**									
(ए)	व्यष्टि / हिन्दु अविभक्त कुटुंब	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(बी)	केन्द्रीय सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(सी)	राज्य सरकार	शून्य	500000	500000	100	शून्य	5000000	5000000	100	–
(डी)	निगमित निकाय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ई)	वित्तीय संस्थाऐ / बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(एफ)	अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	उप–योग ए (1)	**शून्य**	**500000**	**500000**	**100**	**शून्य**	**5000000**	**5000000**	**100**	–
2	**विदेश**									
(ए)	व्यष्टि (अनिवासी व्यष्टि)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(बी)	अन्य–व्यष्टि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(सी)	निगमित निकाय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(डी)	बैंक / वित्तीय सस्थाएं	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ई)	अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	उप–योग ए (2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	संप्रवर्तकों की कुल अंशधारिता (ए)=ए(1)+ए(2)	**शून्य**	**500000**	**500000**	**100**	**शून्य**	**5000000**	**5000000**	**100**	–
(बी)	**पब्लिक अंशधारण**				–				–	
(1)	**संस्थाएं**				–				–	
(ए)	म्यूचल फण्ड / यूटीआई	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(बी)	वित्तीय संस्थाए / बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(सी)	केन्द्रीय सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(डी)	राज्य सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ई)	जोखिम पूंजी निधियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(एफ)	बीमा कम्पनियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(जी)	विदेशी संस्थागत विनिधानकर्त्ता	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(एच)	विदेशी साहसी पूंजी विनिधानकर्त्ता	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(आई)	अन्य (निर्दिष्ट करें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	उप–योग बी(1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	**गैर–संस्थाएं**									
(ए)	**निगमित निकाय**									
i)	भारतीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii)	विदेशी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(बी)	**व्यष्टि**									
(i)	एक लाख रूपये तक की अभिहित अंश पूंजी धारक व्यष्टि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii)	एक लाख रूपये से अधिक अभिहित अंश पूंजी धारक व्यष्टि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(सी)	**अन्य (निर्दिष्ट करें)**									
	उप–योग बी(2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल पब्लिक अंश धारण कुल बी= बी(1)+बी(2)									
(सी)	जीडीआरएस एवं एडीआरएस के अभिरक्षकों द्वारा धारित अंश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	सर्वयोग (ए+बी+सी)	**शून्य**	**500000**	**500000**	**100**	**शून्य**	**5000000**	**5000000**	**100**	–

ii- प्रवर्तको का अंशधारण

क्र. सं.	अंशधारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण			वर्ष के अन्त में अंशधारण			
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशो में विल्लंगमित / प्रतिभूत अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशो में विल्लंगमित / प्रतिभूत अंशों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान अंशधारण में परिवर्तन प्रतिशत में
1	राजस्थान सरकार	500000	100	शून्य	5000000	100	शून्य	–
	योग	**500000**	**100**	**शून्य**	**5000000**	**100**	**शून्य**	**–**

iii- संप्रवर्तकों के अंशधारण में परितर्वन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें) : कोई परिवर्तन नहीं

क्र. सं.		वर्ष के प्रारम्भ में अश धारण		वर्ष के दौरान संचति अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारम्भ में	500000	100	500000	100
	वर्ष के दौरान संप्रवर्तकों के अंशधारण में तारीखवार वृद्धि / कमी, विशेषरूप से वृद्धि / कमी के कारणों का उल्लेख करते हुऐ	14.12.2016 को 100 रूपये के प्रत्येक 45,00,000 साम्या अंशों के आवंटन के कारण संप्रवर्तकों के अंशधारण में वृद्धि समग्र 45,00,00,000 / – रूपये			
	वर्ष के अन्त में	–	–	5000000	100

(iv)- शीर्ष दस अंशधारकों के अंशधारण की पद्धति (निदेशकों, संप्रवर्तको तथा जीडीआरएस एवं एडीआरएस के धारकों के अतिरिक्ति) : शून्य

क्र. सं.	शीर्ष 10 अंशधारको के प्रत्येक हेतु	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण		वर्ष के दौरान संचित अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारम्भ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	वर्ष के दौरान संप्रवर्तकों के अंशधारण में तारीखवार वृद्धि/कमी, विशेषरूप से वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए (जैसे कि आबंटन/अन्तरण/ बोनस/स्वेट साम्या, इत्यादि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अन्त में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(v)- निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की अंशधारिता : शून्य

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का अंशधारण	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण		वर्ष के दौरान संचित अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारम्भ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान संप्रवर्तकों के अंशधारण में तारीखवार वृद्धि/ कमी, विशेषरूप से वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए (जैसे कि आबंटन/अन्तरण/ बोनस/स्वेट साम्या, इत्यादि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अन्त में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(vi)- ऋणग्रस्तता (ऋणिता)

बकाया/प्रोद्भूत ब्याज परन्तु तत्काल भुगतान देय नहीं है सहित कम्पनी की ऋणग्रस्तता

	निक्षेपों के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	निक्षेप	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता				
i- मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii- ब्याज देय परन्तु अप्रदत्त	–	–	–	–
iii- ब्याज प्रोद्भूत परन्तु अप्रदत्त	–	–	–	–
योग (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणिता में परिवर्तन				
अभिवृद्धि	–	–	–	–

कमी	–	–	–	–
शुद्ध परिवर्तन	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
वर्ष के अन्त में ऋणिता				
i- मूल राशि	–	–	–	–
ii- ब्याज देय परन्तु अप्रदत्त	–	–	–	–
iii- ब्याज प्रोद्भूत परन्तु अप्रदत्त	–	–	–	–
योग (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

(vii) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिको का पारिश्रमिक

(ए) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/अथवा मैनेजर का पारिश्रमिक : शून्य

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	सर्वेश कुमार तिवाड़ी	रजनीश कुमार श्रीवास्तव	कुल राशि
		निदेशक वित्त एवं पूर्णकालिक निदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्ण कालिक निदेशक	
1	सकल वेतन	11,53,619.00	7,42,844.00	18,96,463.00
(ए)	आयकर अधिनियम की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	–	–	–
(बी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत परिलब्धियों का मूल्य	–	–	–
(सी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अन्तर्गत वेतन के बदलें में लाभ	–	–	–
2	स्टाक विकल्प करार	–	–	–
3	स्वीट साम्या	–	–	–
4	कमीशन –यथा लाभ का प्रतिशत –अन्य, विशेष रूप से उल्लेख करें	–	–	–
5	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें	–	–	–
	योग (ए)	11,53,619.00	7,42,844.00	18,96,463.00
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	लागू नहीं है	लागू नहीं है	–

(बी) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम		कुल राशि
1.	**स्वतंत्र निदेशक**			
	मण्डल समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य
	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें।	शून्य	शून्य	शून्य
	योग (1)	शून्य	शून्य	शून्य
2.	**अन्य गैर कार्यपालक निदेशक**			
	मण्डल समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य
	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें।	शून्य	शून्य	शून्य
	योग (2)	शून्य	शून्य	शून्य
	योग (बी)=(1+2)	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य
	अधिनियम के अनुसार, कुल अधिकतम सीमा			

(सी) प्रबंध निदेशक/मैनेजर/ पूर्णकालिक निदेशकों के अतिरिक्त अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिको का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
		कम्पनी सचिव
1	सकल वेतन	1,29,503.00
(ए)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	–
(बी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत परिलब्धियों का मूल्य	–
(सी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदलें में लाभ	–
2	स्टाक विकल्प करार	–
3	स्वीट साम्या	–
4	कमीशन –यथा लाभ का प्रतिशत –अन्य, विशेष रूप से उल्लेख करें	–
5	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें	–
	योग (ए)	1,29,503.00
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	लागू नहीं है

(viii) शास्तियां /दंड /अपराधों का प्रशमन

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त वर्णन	शास्ति/दंड/अधिरापित प्रश्मन शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकारी (आरडी/एन सी एलटी/ न्यायालय)	की गयी अपील यदि कोई हो (ब्यौरा देखे)
ए. कम्पनी					
शास्ति	कोई भी नहीं				
दंड					
प्रश्मन					
बी. निदेशक					
शास्ति	कोई भी नहीं				
दंड					
प्रश्मन					
सी. व्यतिक्रम में अन्य अधिकारी					
शास्ति	कोई भी नहीं				
दंड					
प्रश्मन					

निदेशक मण्डल के निमित्त
राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के लिये
ह0/–
(संजय मल्होत्रा)
अध्यक्ष
डीआईएन–00992744

स्थान :– जयपुर
दिनांक :– **23.10.2017**

पंजीकृत कार्यालयः

विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर–302005

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अधीन यथा अपेक्षित 31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक परिलेख का उद्धरण, मण्डल के प्रतिवेदन के अनुलग्नक–। में दिया गया है एवं इस वार्षिक प्रतिवेदन का अभिन्न अंग है।

मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–II

प्रपत्र संख्या एम आर–3

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये

सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) एवं कम्पनी (कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सदस्यगण,

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर,

जयपुर,

राजस्थान – 302005

मैंने **राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड** (एतद्पश्चात "कम्पनी") द्वारा प्रयोज्य वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना एवं उचित कार्पोरेट कार्यप्रणाली के प्रति अनुसक्ति का सचिवीय अंकेक्षण कर लिया है। सचिवीय अंकेक्षण इस ढंग से किया गया है जिससे वह कार्पोरेट प्रबंध/वैधानिक अनुपालनाओं का मूल्यांकन एवं उन पर मेरे मत की अभिव्यक्ति हेतु युक्तियुक्त आधार प्रदान करें।

सचिवीय अंकेक्षण के दौरान **राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड** की लेखा–पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त–पुस्तकों, प्रपत्रों एवं दाखिल रिटर्नो के मेरे सत्यापन तथा साथ ही कम्पनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों तथा कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर, मैं एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूं कि मेरी राय में, कम्पनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से समावेशित अंकेक्षण अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना की है तथा साथ ही इस सीमा तक, रीति में एवं इसके पश्चात् की गई रिपोर्ट के अधीन कम्पनी में मण्डल प्रक्रियाओं और अनुपालना का उचित तंत्र विद्यमान है :

मैंने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लेखा–पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त–पुस्तकों, प्रपत्रों एवं दाखिल रिटर्नो एवं **राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड** द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों की निम्न प्रावधानों के अनुसार जाँच कर ली है :

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाये गये नियम;
2. प्रतिभूति संविद्वा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') एवं उसके अधीन बनाये गये नियम; **(जैसाकि कम्पनी असूचीबद्ध कम्पनी है, खण्ड लागू नहीं है)**
3. निक्षेपागार (डिपॅजिटरी) अधिनियम, 1996 एवं उसके अधीन बनाये गये विनियम एंव उप–विधियां; **(जैसाकि कम्पनी असूचीबद्ध कम्पनी है, खण्ड लागू नहीं है)**

4. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपार प्रत्यक्ष निवेश एवं विदेशी व्यापारिक उधारों की सीमा तक उसके अधीन बनाये गये नियम एवं विनियम; **(जैसाकि कम्पनी ने कोई विदेशी निवेश नहीं किया है, न ही विदेश से कोई निवेश स्वीकार किया है, कम्पनी द्वारा यथा प्रकटीकरण);**

5. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (एसईबीआई अधिनियम) के अन्तर्गत विहित निम्नलिखित विनियम एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त :–

(ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंशो का सारवान अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 **(जैसाकि कम्पनी असूचीबद्ध कम्पनी है, खण्ड लागू नहीं है)**

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गोपनीय व्यापार का निषेध) विनियमन, 1992 **(जैसाकि कम्पनी असूचीबद्ध कम्पनी है, खण्ड लागू नहीं है)**

(सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षायें) विनियम, 2009 **(जैसाकि कम्पनी असूचीबद्ध कम्पनी है, खण्ड लागू नहीं है)**

(डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना एवं कर्मचारी शेयर क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999 **(जैसाकि कम्पनी असूचीबद्ध कम्पनी है, खण्ड लागू नहीं है)**

(ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का सूचीयन एवं निर्गम) विनियम, 2008**; (जैसाकि कम्पनी असूचीबद्ध कम्पनी है, खण्ड लागू नहीं है)**

(एफ) कम्पनी अधिनियम एवं ग्राहक से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम का रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 **(जैसाकि कम्पनी असूचीबद्ध कम्पनी है, खण्ड लागू नहीं है)**

(जी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साम्या अंशों का असूचीयन) विनियम, 2009 **; एवं (जैसाकि कम्पनी असूचीबद्ध कम्पनी है, खण्ड लागू नहीं है)**

(एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनःक्रय) विनियम, 1998 **(जैसाकि कम्पनी असूचीबद्ध कम्पनी है, खण्ड लागू नहीं है)**

6. विद्युत अधिनियम, 2003, एक निर्दिष्ट अन्य कानून है जो कि कम्पनी पर लागू है। मैं ने निम्नलिखित के प्रयोज्य प्रावधानों की अनुपालना की भी जांच की हैः

(i) भारतीय कम्पनी सचिव संस्था द्वारा जारी किये गये निदेशक मण्डल की बैठकों (एसएस–1) एवं सामान्य बैंठकों (एसएस–2) के संबंध में सचिवीय मानक

(ii) सूचीबद्ध व्यवस्था हेतु किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ कम्पनी ने कोई करार नहीं किया है।

मैं ने वित्तीय कानून, लागत अंकेक्षण से संबंधित अभिलेख एवं आवश्यक नियमों की जांच नहीं कि है क्योंकि इनका अंकेक्षण अन्य स्वतंत्र व्यवसायिक ने किया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कम्पनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों की अनुपालना की हैः

हम अग्रतर रिपोर्ट करते है कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान

कम्पनी का निदेशक मण्डल कार्यपालक निदेशकों एवं गैर कार्यपालक निदेशकों के उचित संतुलन के साथ सम्यक रूप से गठित हैं। मण्डल निदेशकों की संरचना में परिवर्तन जो कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए है, वह अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना में किये गये थे।

सभी निदेशकों को मण्डल की नियत बैठक, एजेण्डा एवं एजेण्डाओं पर ब्यौरेवार टिप्पणियों की न्यूनतम सात दिन पहले पर्याप्त सूचना दी गई थी एवं बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी हेतु बैठक के पहले एजेण्डा–विषयों पर कोई अन्य सूचना और स्पष्टीकरण चाहने या प्राप्त करने हेतु प्रणाली विद्यमान है।

बैठक मे सभी निर्णय मण्डल द्वारा बहुमत से लिये गये थे एवं किसी असहमत दृष्टिकोण को ग्रहण नहीं किया गया एवं मीनिटस् के यथा अंश के रिकार्ड नहीं किया गया।

मैं अग्रतर रिपोर्ट करता हूं कि कम्पनी में प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशा–निर्देशों की अनुपालना को मोनीटर और सुनिश्चित करने के लिये कम्पनी के संचालन एवं आकार के अनुरूप पर्याप्त तंत्र एवं प्रक्रिया है।

हम अग्रतर रिपोर्ट करते है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पनी ने–

1. 14 दिसम्बर, 2016 को 450,000,000 रूपये की राशि के अंश माननीय राजस्थान के राज्यपाल को जारी किये।

एस रमेश एण्ड एसोशिएटस्
रमेश कुमार शिवनानी

कम्पनी सचिव
सदस्य संख्या : एफसीएस 7374
सी.पी. नं. 6873

दिनांक : 26.09.2017

स्थानः जयपुर

(इस प्रतिवेदन को हमारे समदिनांक पत्र जो कि यथा अनुलग्नक 'ए' के संलग्न है और इस प्रतिवेदन का अभिन्न अंग है, के साथ पढ़ा जाये।)

अनुलग्नक 'ए'

सदस्यगण,

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर,
जयपुर,
राजस्थान – 302005

हमारे समदिनांक प्रतिवेदन को निम्नलिखित स्पष्टीकरणों के साथ पढ़ा जावे।

1. सचिवीय अभिलेख रखने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। हमारे अंकेक्षण के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर मत व्यक्त करने का उत्तरदायित्व हमारा है।
2. हमने वह अंकेक्षण पद्धति व प्रक्रिया अपनाई जो सचिवीय अभिलेखों की अन्तर्वस्तु की यथार्थता के बारे में युक्तियुक्त विश्वास प्राप्त करने के लिये उपयुक्त थी। सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हो रहे है, को सुनिश्चित करने के लिये सांकेतिक आधार पर सत्यापन किया गया था। हमें विश्वास है कि जो पद्धति व प्रक्रिया हमने अपनाई वह हमारे मत को उचित आधार प्रदान करती है।
3. हमने कम्पनी के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा–पुस्तकों की शुद्धता एवं उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
4. जहां कहीं आवश्यक समझा गया, हमने विधियों, नियमों तथा विनियमों एवं घटनाओं का घटित होना, इत्यादि की अनुपालना के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कार्पोरेट एवं अन्य प्रयोज्य विधियां, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों की अनुपालना का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच सांकेतिक आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता न ही दक्षता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने कम्पनी के कारोबार का संचालन किया है, का आश्वासन देती है।
7. समीक्षाधीन अवधि के दौरान
   - यह पाया गया की कम्पनी ने शेयरों को जारी करने के लिये कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 और/या धारा 62 के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की है। तथापि, प्रबंधन का यह दृष्टिकोण है कि जैसाकि कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है, कम्पनी अधिनियम, 2013 की उपरोक्त धाराओं के प्रावधानों की अनुपालना सही अर्थों में संभाव्य नहीं है।
   - यह पाया गया कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 12(3) के प्रावधानों की साधारणतया अनुपालना की गयी है।

एस रमेश एण्ड एसोशिएटस्
रमेश कुमार शिवनानी

कम्पनी सचिव
सदस्य संख्या : एफसीएस 7374
सी.पी. नं. 6873

दिनांक : 26.09.2017
स्थानः जयपुर

बाफना एण्ड एसोसिएट्स

पंजीकृत कार्यालयः– 101,अनुकम्पा मेन्शन–प्रथम, एम.आई. रोड़, जयपुर–01 (दू.) 0141–2373983, 5108942
ई–मेलः–premchandbafna@gmail.com

स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, (कम्पनी) के 31 मार्च, 2017 तक के संलग्न तुलन–पत्र एवं लाभ हानि विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य विस्तृत सूचनाओं जिन्हें हम ने इस प्रतिवेदन के संदर्भ के अन्तर्गत हस्ताक्षरित किया है, का अंकेक्षण कर लिया है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में नियत मामलों में इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जो कि कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के साथ–साथ, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं रोकड़ प्रवाह का सत्य व स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करे, कम्पनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में सम्मिलित है, कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिये एवं कपट व अन्य अनियमितताओं को रोकने व ज्ञात करने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथेष्ट लेखा अभिलेखों का संधारण, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं प्रयुक्ति, निर्णय एवं प्राक्कलन करना जो कि युक्तियुक्त एवं विवेकपूर्ण हो, समुचित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्विति एवं संधारण जिन्हें वित्तीय विवरणों जो कि सत्य एंव स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करते है और चाहे कपट या त्रुटि के कारण सारभूत गलत विवरण से मुक्त है की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित, लेखा अभिलेखों की विशुद्धता एवं सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे।

अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारे अंकेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरण पत्रों पर राय व्यक्त करने का है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और अंकेक्षण मानक एवं ऐसी विषय वस्तु जो अधिनियम व उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है, को विचार में लिया है।

हमने, अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार, हमारे अंकेक्षण को आयोजित किया है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं की पालना करें एवं अंकेक्षण को इस प्रकार से नियोजित व निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण सारभूत गलत विवरण से मुक्त है, के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सकें।

अंकेक्षण में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरणों के अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया अनुपालन सम्मिलित है। चाहे कपट या त्रुटि के कारण, सारवान् अयथार्थ विवरण की जोखिमों के निर्धारण सहित अंकेक्षकों के निर्णय पर, प्रक्रियाओं का चयन निर्भर करता है। उन जोखिमों का निर्धारण करने में, अंकेक्षक अंकेक्षण प्रक्रिया जो कि उन परिस्थितियों में उचित है, की योजना तैयार करने में कम्पनी का वित्तीय विवरणों के स्वच्छ प्रस्तुतीकरण एवं तैयारी से संबंधित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का विचार करते है, परन्तु क्या कम्पनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की संचालित प्रभावशीलता पर अभिमत अभिव्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं है। अंकेक्षण में, प्रयुक्त लेखांकन सिद्धान्तों की उपयुक्तता एवं कम्पनी के निदेशकों द्वारा किये गये लेखा प्राक्कलनों के औचित्य का मूल्यांकन साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन सम्मिलित है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है एवं वित्तीय विवरणों पर हमारे अंकेक्षण अभिमत के लिये एक उचित आधार उपलब्ध कराते है।

अंकेक्षण की परिधि– परिसीमा

अंकेक्षण कार्य करते हुये, हमनें उन व्यवहारों का लेखा परिक्षण/जांच/विचारण नहीं किया है जो कि डिस्कोमों एवं जेवीवीएनल ग्राहक खाता (एचडीएफसी) पीएक्सआईएल खाता एवं जेवीवीएनएल–ग्राहक खाता–एचडीएफसी खाता, पीडी खाता एवं कॉन्ट्रा वित्त खाता की ओर से भुगतानों एवं प्राप्तियों से संबंधित है। हम ने केवल उन व्ययों को जो कि डिस्कोमों द्वारा सेवा प्रभारों के रूप में प्रतिपूर्ति की गयी थी, को सत्यापित किया है।

अभिमत

हमारी राय में तथा हमारी जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार पूर्वोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचनायें वांछित रीति से प्रदान करते है तथा भारत में साधरणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप 31 मार्च, 2017 को कम्पनी के कार्यकलाप की स्थिति, एवं इसके लाभ एवं उस दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु इसके रोकड़ प्रवाह का सत्य व स्वच्छ परिदृश्य प्रदान करते है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 11 के निबन्धनों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये कम्पनी (अंकेक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा अपेक्षित है, हम अनुलग्नक–1 में कथित आदेश के पैरा 3 व 4 में यथा विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण संलग्न करते है।
2. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम रिपोर्ट करते है कि –
   - ए) हमने वे समस्त सूचनाये एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास से हमारे अंकेक्षण के प्रयोजन हेतु आवश्यक थी।
   - बी) हमारे मत में, कम्पनी ने विधि द्वारा यथापेक्षित समुचित लेंखा पुस्तकें जहां तक इन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से विदित होता है, रखी हुई है।
   - सी) इस प्रतिवेदन में व्यवहृत तुलन–पत्र, लाभ–हानि विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा–पुस्तकों से मेल खाते है।

डी) हमारे मत में, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों की पालना करते है।

ई) यह एक सरकारी कम्पनी होने से अधिसूचना दिनांक 05 जून, 2015 द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।

(एफ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रभावशील सक्रियता के संबंध में, अनुलग्नक – 2 पर हमारा पृथक प्रतिवेदन देखें।

(जी) कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षकों के प्रतिवेदन में सम्मिलित होने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी सूचना एवं दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारे मत में –

i. प्रतिवेदित अवधि के दौरान कोई वाद लम्बित नहीं था, जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

ii. व्युत्पत्तिक संविदायें जिनमें की कोई भावी हानि थी, को सम्मिलित करते हुये कम्पनी की कोई दीर्घावधि संविदायें नहीं थी।

iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण कोष को हस्तान्तरित किये जाने वाली कोई राशि नहीं थी।

iv. कम्पनी ने 08 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान, निर्दिष्ट बैंक नोटों में अपनी धारिता एवं संव्यवहारों के संबंध में वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रकटीकरण किया है एवं यह कम्पनी द्वारा संधारित लेखा–पुस्तकों के अनुसार है।

3. कम्पनी की लेखा–पुस्तकों एवं अभिलेखों की ऐसी जांच जैसा कि हमने उचित समझा के आधार पर तथा हमको दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक द्वारा जारी किये गये निर्देशों और उपनिर्देशों की अनुपालना एवं अधिनियम की धारा 143(5) के अनुबंधों में, हम हमारा प्रतिवेदन अनुलग्नक – 3 में संलग्न कर रहे है।

कृते बाफना एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्
एफआरएन : 001408सी
ह0/–
(सिद्धार्थ बाफना)
साझेदार
सदस्य संख्या : 405227

स्थान : जयपुर
दिनांक : 22.08.2017

बाफना एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–1

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों को 31.03.2017 को समाप्त हुए वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट के पैरा में संदर्भित अनुलग्नक

जैसा हमनें उचित विचारित किया ऐसी जांचों के आधार पर एवं अंकेक्षण के दौरान हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते है कि :

1. स्थिर आस्तियां :

   (ए) कम्पनी ने अपनी स्थायी आस्तियों के परिमाणात्मक विस्तृतियां एवं अवस्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुये उचित अभिलेखों का संधारण किया है।

   (बी) प्रबंधन द्वारा आस्तियों का भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष के अन्त में किया गया है। जो कि कम्पनी के आकार एवं इसकी स्थिर आस्तियों की प्रकृति को देखते हुये हमारे अभिमत में युक्तियुक्त है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे सत्यापन पर कोई सारवान असंगति नहीं पायी गयी है।

   (सी) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं कम्पनी के अभिलेखों की हमारे जांच के आधार पर, किसी भी स्थावर सम्पति के स्वत्व विलेख कम्पनी के नाम पर नहीं है।

2. इन्वेन्ट्रियां :

   कम्पनी, एक सेवा प्रदात्ता कम्पनी है। तद्नुसार इसके पास कोई भौतिक इन्वेन्ट्री नहीं है। अतः आदेश के खण्ड 3 (ii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है।

3. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 189 के अधीन संधारित रजिस्टर में आवृत्त तीन निकाय कार्पोरेटों को ऋण स्वीकृत किये है।

   (ए) हमारे मत में, ब्याज की दर एवं अन्य निबंधन एवं शर्तें जिन पर अधिनियम की धारा 189 के अधीन संधारित रजिस्टर में आवृत्त तीन निकाय कार्पोरेटों को ऋण स्वीकृत किये गये है, वह प्रथम दृष्टय, कम्पनी के हित प्रतिकूल नहीं है।

   (बी) अधिनियम की धारा 189 के अधीन संधारित रजिस्टर में आवृत्त तीन निकाय कार्पोरेटों को ऋण स्वीकृत किये जाने के मामलें में, उधार लेने वाले (ऋणी) मूलधन एवं ब्याज का भुगतान करने में यथा अनुबद्ध नियमित है।

   (सी) अधिनियम की धारा 189 के अधीन संधारित रजिस्टर में आवृत्त तीन निकाय कार्पोरेटों को ऋण स्वीकृत किये जाने के संबंध में कोई अतिशोध्य राशि नहीं हैं।

4. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के अन्तर्गत यथा उल्लेखित निदेशकों को कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया है। जैसाकि कम्पनी ने तीनों डिस्कोमों को ऋण स्वीकृत करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली थी, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होगें।

5. कम्पनी ने पब्लिक से कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किये है।

6. अधिनियम की धारा 148(1) के अधीन केन्द्र सरकार ने कम्पनी द्वारा दी गयी किसी भी तरह की सेवाओं के लिये लागत लेखा अभिलेखों के संधारण को विहीत नहीं किया है।

7. (ए) हमें दिये गये स्पष्टीकरणों एवं सूचनाओं के अनुसार एवं कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कम्पनी निर्विवादित वैधानिक बकायों यथा भविष्य निधि न्यास, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, सेवा कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, मूल्य वृद्धित कर, उपकर तथा अन्य वैधानिक बकायों को उचित प्राधिकारियों को जमा कराने में नियमित है।

(बी) आय कर या बिक्री कर या सेवा कर या सीमा शुल्क या उत्पादन शुल्क या मूल्य वृद्धित कर की ऐसी कोई बकाया नहीं है जिन्हें किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है।

8. कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारक से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है। तद्नुसार, आदेश के पैरा 3 (viii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है।

9. कम्पनी ने प्रारम्भिक पब्लिक ऑफर या अग्रतर पब्लिक ऑफर (ऋण लिखत सहित) एवं अवधि ऋणों द्वारा वर्ष के दौरान कोई धन इकट्ठा नहीं किया है। तद्नुसार, आदेश के पैरा 3 (ix) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है।

10. हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार न तो कम्पनी द्वारा और न ही कम्पनी पर अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कोई कपट/दुराचार ध्यान में आया या अंकेक्षण के दौरान रिपोर्ट किया गया है।

11. यह एक सरकारी कम्पनी होने से, अधिसूचना दिनांक 05.06.2015 द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त है। तद्नुसार, आदेश के पैरा 3 (xi) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है।

12. हमारी राय में एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों एवं सूचनाओं के अनुसार, कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है। तद्नुसार, आदेश के पैरा 3 (xii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है।

13. वर्ष 2016–17 में, अधिनियम की धारा 177 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं थे। कम्पनी ने केवल सरकारी कम्पनियों को सेवायें प्रदान की है। और, दो सरकारी कम्पनियों के मध्य संव्यवहारों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधान लागू नहीं हैं।

14. हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान न ही कोई अधिमानी आवंटन किया गया है न ही किसी अंश या पूर्णतः या अंशतः परिवर्त्य डिबेंचर का निजी प्लेसमेंट नहीं किया गया है।

15. हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कम्पनी ने कम्पनी के निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों या निदेशकों से कोई गैर–नकद व्यवहार नहीं किया है। तदनुसार आदेश के पैरा 3(xv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है।

16. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अन्तर्गत कम्पनी को पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कृते बाफना एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्
एफआरएन : 001408सी

ह0/–
(सिद्धार्थ बाफना)
साझेदार
सदस्य संख्या : 405227

स्थान : जयपुर
दिनांक : 22.08.2017

बाफना एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक – '2'

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खण्ड (i) के अन्तर्गत आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने **राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी)** की 31 मार्च, 2017 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी को उसी दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के साथ–साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अंकेक्षण किया है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कम्पनी का प्रबंधन भारतीय चार्टर्ड़ एकाउन्टेन्टस संस्था (आई.सी.ए.आई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर जारी किये गये निदेशन–पत्र में उल्लेखित आन्तरिक नियंत्रण के तत्वों को विचारित करते हुए कम्पनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण के स्थापित मान–दण्ड़ों के आधार पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण को अधिष्ठापित करने के लिये उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित कम्पनी की नितियों का पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, कपटों व त्रुटियों का पता लगाना और उनका निवारण, लेखा अभिलेखों की पूर्णता एवं शुद्धता/ यथार्थता, विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की यथासमय तैयारी करने को सम्मिलित करते हुए आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण जो इसके व्यापार को नियमित रूप एवं दक्षता से चलाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से सक्रिय थे की पर्याप्त रूप रेखा, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण सम्मिलित है।

अंकेक्षेकों का उत्तरदायित्व

हमारे अंकेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था द्वारा जारी किये गये वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु निदेशन–पत्र एवं अंकेक्षण के मानक एवं आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण हेतु लागू होने की सीमा तक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विहित समझे जायेगें एवं दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था द्वारा जारी किये गये, के अनुसार हमने हमारे अंकेक्षण का संचालन किया है। इन मानकों एवं निदेशन–पत्र की अपेक्षा है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं की पालना करे एवं अंकेक्षण को इस प्रकार से नियोजित व निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को अधिष्ठापित एवं अनुरक्षित किया गया था और ऐसे नियंत्रण सभी सारवान/तात्विक मामलों में प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे, के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सकें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं उनकी सक्रीयता की प्रभावशीलता हेतु अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया को क्रियान्वित करना हमारे अंकेक्षण में निहित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का निर्धारण करना कि सारवान अपर्याप्तता हैं, एवं परीक्षण करना, एवं निर्धारित जोखिम के आधार पर आन्तरिक नियंत्रण की सक्रिय प्रभावशीलता व रूप रेखा का मूल्यांकन करना सम्मिलित था। वित्तीय विवरणों के

सारभूत मिथ्या कथन चाहे कपट के कारण या त्रुटि के कारण, के जोखिम के निर्धारण को सम्मिलित करते हुए प्रक्रिया का चयन अंकेक्षक के निर्णयन पर निर्भर करता है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति पर हमारे अंकेक्षण अभिमत के लिये एक उचित आधार उपलब्ध कराते है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाह्य प्रयोजनार्थ वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिये तैयार किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण मे वो नितियां व कार्य प्रणालियां सम्मिलिति है जो कि (1) उन अभिलेखों के संधारण से संबंधित है जो कि कम्पनी की आस्तियों के व्ययन एवं व्यवहारों को युक्तियुक्त ब्योरे सहित, शुद्ध एवं उचित रूप से दर्शित करते है; (2) युक्तिसंगत आश्वासन देते है कि सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिये यथा आवश्यक व्यवहारों को दर्ज किया गया है एवं प्राप्तियों व व्ययों को कवेल कम्पनी के निदेशकों एवं प्रबंधन के अनुमोदन के अनुसार ही किया जाता हैं; (3) कम्पनी की आस्तियों का अनधिकृत अर्जन, उपयोग या व्ययन जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, का यथासमय पता लगाने एवं निवारण से संबंधित युक्तिसंगत आश्वासन देवें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्निहित परिसीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्निहित परिसीमा साथ ही अनुपयुक्त प्रबंधन अथवा मिली भगत की संभावना के कारण, नियंत्रणों की अवहेलना, त्रुटि या कपट के कारण मिथ्या कथन हो सकते है और पता नहीं लगाये जा सकते। साथी ही, भावी अवधियों के लिये वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के प्रक्षेपण जोखिम के अधीन है क्योकि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते है, या कार्याविधि अथवा नीतियों की अनुपालना की मात्रा गिर सकती है।

अभिमत

हमारे मत में, कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति विद्यमान है और भारतीय चार्टड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा अंकेक्षण पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के जारी किये गये निदेशन–पत्र में उल्लेखित आन्तरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को विचारित करते हुये कम्पनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिये अधिष्ठापित मान–दण्डों के आधार पर ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2017 को प्रभावी रूप से सक्रिय थे।

कृते बाफना एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्
एफआरएन : 001408सी
ह0/–
(सिद्धार्थ बाफना)
साझेदार
सदस्य संख्या : 405227

स्थान : जयपुर
दिनांक : 22.08.2017

बाफना एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक – '3'

अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा अपेक्षित, हम नीचे दिये गये अनुसार कथन करते है :

क्र.सं.	निर्देश/ उप–निर्देश	की गई कार्यवाही	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कम्पनी के पास क्रमशः पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टेदारी के लिये स्पष्ट स्वत्व/पट्टा विलेख है? यदि नहीं तो कृपया पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टेदारी भूमि जिसके स्वत्व/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है, का क्षेत्र बतायें।	हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी के पास 31 मार्च, 2017 को कोई स्थावर सम्पत्ति/भूमि नहीं है।	शून्य
2	क्या ऋणों/उधारों/ ब्याज इत्यादि का कोई अपलेखन/अधित्याग का मामला है। यदि हां तो उनके कारण एवं उनसे प्रभावित राशि अंकित करे।	हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऋणों/उधारों/ ब्याज इत्यादि का कोई अपलेखन/अधित्याग का मामला नहीं है।	शून्य
3	सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों से यथा उपहार के प्राप्त आस्तियों एवं तृतीय पक्षों की पास रखी हुई सामग्री के लिये क्या उचित अभिलेखों का संधारण किया गया है।	हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी के पास 31 मार्च, 2017 को कोई सामग्री नहीं है।	शून्य

कृते बाफना एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्
एफआरएन : 001408सी

ह0/–
(सिद्धार्थ बाफना)
साझेदार
सदस्य संख्या : 405227

स्थान : जयपुर

दिनांक : 22.08.2017

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

कोर्पोरेट आईडेन्टिटी नं. – U40104RJ2015SGC048738

31 मार्च, 2017 को तुलन–पत्र

(राशि रूपयों में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
I. साम्या एवं दायित्व			
(1) अंशधारकों की निधियां			
(ए) अंश पूंजी	1	500,000,000	-
(बी) आरक्षित एवं अधिशेष	2	-	-
(सी) अंश वांरट के तहत् प्राप्त धन		-	-
(2) अंश आवेदन राशि – लम्बित आवंटन		-	-
(3) गैर–चालू दायित्व			
(ए) दीर्घावधि उधारियां		-	-
(बी) आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)		-	-
(सी) अन्य दीर्घावधि दायित्व		-	-
(डी) दीर्घावधि प्रावधान		-	-
(4) चालू दायित्व			
(ए) अल्पावधि उधारियां		-	-
(बी) व्यापारिक देयतायें		-	-
(सी) अन्य चालू दायित्व	3	24,228,560	8,11,736
(डी) अल्पावधि प्रावधान		-	-
योग – साम्या एवं दायित्व		**524228560**	**8,11,736.00**
II. आस्तियां			
(1) गैर–चालू आस्तियां			
(ए) स्थिर आस्तियां			
(i) मूर्त्त आस्तियां	4	449,865	-
(ii) अमूर्त्त आस्तियां	4	185,381	-
(iii) प्रगतिरत पूंजी कार्य		-	-
(iv) विकासाधीन अमूर्त्त आस्तियां		-	-
(बी) गैर–चालू निवेश		-	-
(सी) आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)		-	-
(डी) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम		-	-
(ई) अन्य गैर–चालू आस्तियां		-	-

(राशि रूपयों में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
(2) चालू आस्तियां			
(ए) चालू निवेश		-	-
(बी) सामग्री सूची (इन्वेन्ट्री)		-	-
(सी) नकद एवं नकद तुल्यमान	5	1,554,263	5,001
(डी) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	6	502,872,460	-
(ई) अन्य चालू आस्तियां	7	19,166,591	8,06,735
योग		**524,228,560**	**8,11,736**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों पर टिप्पणीयां	**1 से 15**		

हमारी समतिथि की पृथक रिपोर्ट के अनुसार
बाफना एण्ड एसोसिएट्स के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस
एफ.आर.एन. 001408सी

निदेशक मण्डल
राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
(सीआईएनः U40104RJ2015SGC048738)
के लिये एवं निमित्त

सिद्धार्थ बाफना	**सर्वेश तिवाड़ी**	**आर.के. श्रीवास्तव**	**संजय मल्होत्रा**
साझेदार	निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी	प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
सदस्यता सं. 405227	डीआईएन–06860955	डीआईएन–07673675	डीआईएन–00992744

डी.के. जैन
मुख्य लेखाधिकारी

शिल्पा सोगानी
कम्पनी सचिव
स.सं. एफ 8577

स्थान : जयपुर
दिनांक 22.08.2017

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

कोर्पोरेट आईडेन्टिटी नं. – U40104RJ2015SGC048738

31 मार्च, 2017 समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ/हानि का विवरण

(राशि रूपयों में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये
I.	संचालन से राजस्व	8	90,675,728	-
II.	अन्य आय	9	12,032,276	-
III.	**कुल राजस्व (I+II)**		102,708,004	-
IV.	**व्यय**			
	क्रय की गई पावर की लागत		-	-
	व्यापारिक स्टॉक का क्रय		-	-
	तैयार माल की इन्वेन्ट्री में परिवर्तन		-	-
	कर्मचारी परिलाभ व्यय	10	78,139,557	-
	ह्रास एवं परिशोधन व्यय	11	36,170	-
	अन्य व्यय	12	23,724,042	-
	कुल व्यय		**101,899,769**	
V.	**अपवादात्मक एवं असाधारण मदों के पूर्व लाभ एवं कर (III-IV)**		808,235	-
VI.	अपवादात्मक मदें एवं असाधारण मदें			
	पूर्व अवधि की मदें	13	808,235	-
VII.	**कर के पूर्व लाभ (V-VI)**		-	-
VIII.	**कर व्यय**			
	(1) चालू कर		-	-
	(2) आस्थगित कर		-	-
IX.	निरन्तर संचालन से अवधि हेतु लाभ/(हानि) (VII-VIII)		-	-
X.	संचालन बंद होने से लाभ/(हानि)		-	-
XI.	संचालन बंद होने के कर व्यय		-	-

(राशि रूपयों में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये
XII.	संचालन बंद होने से लाभ/(हानि) (X-XI)		-	-
XIII.	**अवधि हेतु लाभ/(हानि) (IX+XII)**		-	-
XIV.	**प्रति साम्या अंश अर्जन**		-	-
	(1) मूल एवं मन्दित	14	-	-
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	I		
	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणीयां	1 से 15		

हमारी समतिथि की पृथक रिपोर्ट के अनुसार
बाफना एण्ड एसोसिएट्स के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस
एफ.आर.एन. 001408सी

सिद्धार्थ बाफना
साझेदार
सदस्यता सं. 405227

निदेशक मण्डल
राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
(सीआईएनः U40104RJ2015SGC048738)
के लिये एवं निमित्त

सर्वेश तिवाड़ी	**आर.के. श्रीवास्तव**	**संजय मल्होत्रा**
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी	प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
डीआईएन–06860955	डीआईएन–07673675	डीआईएन–00992744

डी.के. जैन
मुख्य लेखाधिकारी

शिल्पा सोगानी
कम्पनी सचिव
स.सं. एफ 8577

स्थान : जयपुर
दिनांक 22.08.2017

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

कोर्पोरेट आईडेन्टिटी नं. – U40104RJ2015SGC048738

31 मार्च, 2016 समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(राशि रूपयों में)

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2015-16
(ए)	<u>परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह</u>		
	कर एवं अपवादात्मक मदों के पूर्व लाभ	-	-
	निम्न के लिये समायोजितः		
	ह्रास	36,170	-
	एफडीआर पर ब्याज	(5,518,496)	-
	डिस्कोमों के ऋण पर ब्याज	(6,479,450)	-
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालन लाभ	(11,961,776)	-
	निम्न के लिये समायोजन :		
	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(2,872,460)	-
	अन्य चालू आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(18,359,856)	(806,735)
	अन्य दायित्वों में (कमी)/वृद्धि	23,416,824	811,736
	परिचालन से उत्पादित नकद	2,184,508	5,001
	परिचालन गतिविधियों से उत्पादित शुद्ध नकद	(9,777,268)	5,001
(बी)	<u>निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह</u>		.
	स्थायी आस्तियों का क्रय	(671,416)	-
	एफडीआर पर ब्याज	5,518,496	-
	डिस्कोमों को ऋण	(500,000,000)	-
	डिस्कोमों के ऋण पर ब्याज	6,479,450	-
	निवेश गतिविधियों मे प्रयुक्त शुद्ध रोकड़	(488,673,470)	-

(राशि रूपयों में)

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2015-16
(सी)	<u>वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह</u>		
	साम्या अंश पूंजी का निर्गम	500,000,000	-
	वित्तीय गतिविधियों में (उपयोगित)/से शुद्व रोकड़	500,000,000	-
	नकद एवं नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)	1,549,262	5,001
	नकद एवं नकद समतुल्य (प्रारम्भिक शेष)	5,001	-
	नकद एवं नकद समतुल्य (अन्तिम शेष)	**1,554,263**	**5,001**

हमारी समतिथि की पृथक रिपोर्ट के अनुसार
बाफना एण्ड एसोसिएट्स के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस
एफ.आर.एन. 001408सी

सिद्धार्थ बाफना
साझेदार
सदस्यता सं. 405227

निदेशक मण्डल
राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
(सीआईएनः U40104RJ2015SGC048738)
के लिये एवं निमित्त

सर्वेश तिवाड़ी	आर.के. श्रीवास्तव	संजय मल्होत्रा
निदेशक (वित्त)एवं मुख्य वित्त अधिकारी	प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
डीआईएन–06860955	डीआईएन–07673675	डीआईएन–00992744

डी.के. जैन
मुख्य लेखाधिकारी

शिल्पा सोगानी
कम्पनी सचिव
स.सं. एफ 8577

स्थान : जयपुर
दिनांक 22.08.2017

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

कोर्पोरेट आईडेन्टिटी नं. – U40104RJ2015SGC048738

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

I- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

ए. कम्पनी की जानकारी

1.1 कार्पोरेट परिचय

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (आरयूवीएनएल) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित एक सरकारी कम्पनी है एवं इसका पंजीकृत कार्यालय विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर–302005 पर है। राज्य मंत्रिमण्डल के निर्णय के अनुसरण में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (सीआईएनः U40104RJ2015SGC048738) आदेश संख्या 158/2015 दिनांक 26.08.2015 के द्वारा 04 दिसम्बर, 2015 को निगमित हुयी थी। कम्पनी राज्य सरकार के आदेश संख्या प.15 (22) ऊर्जा/2014 दिनांक 22.03.2016 द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु 01.04.2016 से कार्यरत हुयी।

(ए) बड़े पैमाने पर थोक प्रापण, विक्रय एवं थोक आपूर्ति से संबंधित कार्य, अधिकार, वित्तीय स्वायत्तता एवं विद्युत वितरण कम्पनियों की आवश्यकताओं के अनुसार विद्युत उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु क्रमशः अल्पकालिक, मध्यम कालिक एवं दीर्घकालिक आधार पर करार करना।

(बी) राज्य सरकार द्वारा गठित समन्वय समिति के सभी कार्यो/उद्देश्यों को करना।

ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये कम्पनी तीनों डिस्कोमों, अर्थात् जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से कार्य कर रही है।

आरयूवीएनएल एवं तीनों डिस्कोमों के मध्य यह समझौता हुआ था कि सीईआरसी से जब तक व्यापारिक अनुज्ञप्ति (ट्रेडिंग लाइसेन्स) प्राप्त नहीं कर लिया जाता है, आरयूवीएनएल डिस्कोमों के विद्युत सहभाजन अनुपात में संबंधित डिस्कोमों से धन प्राप्त कर, डिस्कोमों की ओर से विद्युत उत्पादकों को उनके विद्युत क्रय बिलों का भुगतान करने का कार्य करेगा।

1.2 लेखांकन की प्रणाली

इन वित्तीय विवरणों को लेखांकन के उपार्जन आधार पर एवं भारतीय आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों (जीएएपी) एवं लागू होने की सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। कम्पनी (लेखा मानक) नियम, 2006 में यथा विहित अनिवार्य लेखा मानक एवं अधिसूचित तथा लागू होने की सीमा तक कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का जीएएपी में समावेश है। कम्पनी

(लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सहित लेखांकन के उपार्जन आधार पर एवं भारतीय आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार एवं ऐतिहासिक लागत परम्परा के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है।

1.3 प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप तैयार करने के लिये, प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों की दिनांक को समाक्षित दायित्वों के प्रकटीकरण एवं राजस्व, व्यय, आस्तियां तथा दायित्वों की प्रतिवेदित राशि को प्रभारित करने वाले घटकों का निर्णय, प्राक्कलन और पुर्वानुमान करना अपेक्षित है। यद्यपि यह प्राक्कलन प्रबंधन की सामयिक घटनाओं और गतिविधियों की उत्तम ज्ञान के आधार पर होते है, इन प्राक्कलनों एवं पूर्वानुमानों की अनिश्चितता के परिणाम ऐसे नतीजे हो सकते है जिससे की भावी अवधि में दायित्वों या आस्तियों की वहन राशि को सारवान् समायोजन करने की आवश्यकता हो।

1.4 रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए प्रतिवेदित करते है, जिसमें गैर–नकद प्रकृति के व्यवहारों के एवं पूर्व के कोई आस्थगित या प्रोद्भूत या भावी नकद प्राप्तियां या भुगतानों के प्रभावों के लिये कर पूर्व लाभ/(हानि) को समायोजित किया जाता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर कम्पनी के संचालन, निवेश एवं वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाहों को पृथक–पृथक किया जाता है।

रोकड़ प्रवाह विवरण के प्रयोजनार्थ नकद व नकद समतुल्य में, बैंक में नकद, हस्तगत नकद एवं अल्पावधि निवेश जिनकी मूल परिपक्वता तीन माह या कम की है, को लिया जाता है। नकद प्रवाह विवरण को प्रस्तुत करते समय हमनें उन व्यवहारों को विचारित नहीं किया है जो कि डिस्कोमों एवं जेवीवीएनल ग्राहक खाता/(एचडीएफसी) पीएक्सआईएल खाता एवं जेवीवीएनएल–ग्राहक खाता–एचडीएफसी खाता, पीडी खाता एवं कॉन्ट्रा वित्त खाता की ओर से भुगतानों एवं प्राप्तियों से संबंधित है।

1.5 तुलन–पत्र की दिनांक के पश्चात् होने वाली आकस्मिकतायें एवं घटनायें (लेखा मानक–04)

कम्पनी के वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करते समय आकस्मिकतायें (यदि कोई है), एवं तुलन–पत्र की दिनांक के बाद होने वाली घटना, जो कि कम्पनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है, का संज्ञान लिया है।

1.6 अवधि के लिये शुद्ध लाभ/हानि, पूर्व अवधि की मदें एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन (लेखामानक–05)

पूर्व अवधि एवं असाधारण, अपवादात्मक मदें एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन जो कि कम्पनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है, को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

1.7 ह्रास (लेखा मानक–06)

मूर्त अास्तियों पर ह्रास को ह्रास की सरल रेखा विधि (एसएलएम) एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। के भाग सी में यथा विहित आस्तियों के उपयोगी जीवन पर आधारित किया गया है। सभी मूर्त आस्तियों का अवशिष्ट मूल्य, आस्ति की मूल लागत के यथा 5 प्रतिशत लिया गया है। अमूर्त आस्ति पर ह्रास 3 साल के उपयोगी जीवन के आधार पर (शून्य अवशिष्ट मूल्य विचारते हुये) एवं लेखा मानक 26 ''अमूर्त आस्तियां'' के प्रावधानों की पालना करते हुये, किया गया है।

1.8 राजस्व मान्यता (लेखा मानक–09)

आरयूवीएनएल अपने स्वयं की ओर से विद्युत ट्रेडिंग गतिविधियों को अंजाम नहीं देता है। वर्ष के दौरान, आरयूवीएनएल डिस्कोमों के विद्युत सहभाजन अनुपात में संबंधित डिस्कोमों से धन प्राप्त कर, डिस्कोमों की ओर से विद्युत उत्पादकों को उनके विद्युत क्रय बिलों का भुगतान करने के कार्य का संचालन कर रहा है। यह सहमति हो गयी है कि आरयूवीएनएल डिस्कोमों की ओर से परिचालनात्मक कार्य करने/सेवायें प्रतिपादन करने के तहत् सहमत अनुपात में सेवा प्रभारों के रूप में डिस्कोमों से इसके द्वारा उपगत किये गये शुद्ध परिचालनात्मक व्ययों (बिना किसी लाभ के) को वसूल करेगा। कम्पनी लेखांकन के प्रोद्भवन/उपार्जन आधार पर मासिक आधार पर बिल तैयार कर रही है। विद्युत सहभाजन अनुपात जयपुर डिस्कोम के लिये 40 प्रतिशत, जोधपुर डिस्कोम के लिये 32 प्रतिशत एवं अजमेर डिस्कोम के लिये 28 प्रतिशत है।

1.9 स्थिर आस्तियां (लेखा मानक –10)

स्थिर आस्तियों की कीमत संचित ह्रास एवं संचित ह्रासन हानि, यदि कोई है को कम करके लागत पर कथित है। लागत में क्रय मूल्य, यदि पूंजीकरण मापदण्डों को अपनाया गया है तो उधार लागतें एवं आस्तियों को आशातीत प्रयोग के लिये इसे चालू परिस्थिति में लाने के लिये प्रत्यक्ष आरोप्य लागत शामिल है। क्रय मूल्य को ज्ञात करने में कोई व्यापारिक बट्टा और छूट को कम कर दिया गया है।

1.10 सीआईएफ/विदेशी मुद्रा में व्यय– 0.00 रूपये (गत वर्ष शून्य)

विदेशी मुद्रा में उपार्जन (निर्यात बिक्री) 0.00 रूपये (गत वर्ष शून्य)

1.11 संबंधित पक्षकार (लेखा मानक–18)

लेखा मानक 18 की पालना में प्रकटीकरण पृथक रूप से किया गया है।

1.12 अर्जन प्रति अंश (लेखा मानक–20)

मूल अर्जन प्रति अंश की गणना हेतु शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया साम्या अंशों की भारित औसत संख्या से विभाजित किया जाता है। कम्पनी के अर्जन प्रति अंश के निश्चियन में विचारित अर्जन वर्ष

हेतु शुद्ध लाभ है। सम्भाव्य साम्या अंशों के परिवर्तन/रूपान्तरण जिससे कि बकाया साम्या अंशों की संख्या संसाधनों में समरूपी परिवर्तन के बिना परिवर्तित हो गई है, के अतिरिक्त वर्ष के दौरान बकाया साम्या अंशों की भारित औसत संख्या एवं प्रस्तुत सभी वर्षों के लिये को घटनाओं के लिये समायोजित किया जाता है जैसे कि बोनस अंश। प्रति अंश मंदित अर्जन की गणना के प्रयोजनार्थ साम्या अंशधारको के लिये वर्ष के शुद्ध लाभ व हानि एवं अंशों की भारित औसत संख्या को सभी मन्दन सम्भाव्य साम्या अंशों के प्रभाव के लिये समायोजित किया जाता है।

1.13 आय पर करों के लिये लेखांकन (लेखा मानक–22)

चालू कर को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष की कर योग्य आय के संबंध में देय कर की यथा राशि के अनुसार निर्धारित किया जाता है। आस्थगित कर जो कि अधिनियमित मूल/अधिनियमित दरों के आधार पर परिकलित है, को कर योग्य आय एवं लेखाबद्ध आय जो कि एक अवधि में उद्भूत होती है एवं एक या एक से अधिक उत्तरवर्ती अवधि में उल्टा जाने के योग्य है, के मध्य अन्तर होने से समयानुपात अन्तर पर मान्यता दी जाती है। जहां कहीं भी अनवशोषित ह्रास या आगे लायी गयी हानियां है, आस्थगित कर आस्तियों को जब ही मान्यता दी जाती है कि यदि ऐसी आस्तियों के आपन की युक्तियुक्त निश्चितता है। अन्य आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक जहां भविष्य में आपन की वास्वतिक निश्चितता है, मान्यता दी जाती है।

1.14 अमूर्त्त आस्तियों के लिये लेखांकन (लेखा मानक–26)

अमूर्त्त आस्तियां अर्थात् साफ्टवेयर जो कि संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं हैं, का ह्रास/परिशोधन सीधी रेखा विधि (एसएलएम) के आधार पर अवशिष्ट मूल्यों को शून्य मानते हुये लेखा मानक 26 ''अमूर्त्त आस्तियां'' में जैसा दिया गया है इसके 3 साल के उपयोगी जीवन के सर्वोत्तम आकलन को विचारते हुये किया जाता है।

1.15 आस्तियों की क्षीणता (लेखा मानक–28)

कम्पनी, प्रत्येक तुलन–पत्र की दिनांक को निर्धारित करती है कि क्या कोई लक्षण है कि कोई आस्ति ह्रासित हो सकती है। यदि ऐसे कोई लक्षण विद्यमान है, तो कम्पनी आस्ति की वसूली योग्य राशि का पूर्वानुमान करती है। यदि आस्ति की ऐसी वसूली योग्य राशि या नकद उत्पादन ईकाई जिससे की आस्ति संबंधित है, की वसूली योग्य राशि इसकी वहन राशि से कम है, तो वहन राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है। इस कमी को यथा क्षीणता हानि के व्यवहृत किया जाता है और लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.16 प्रावधान, प्रांसगिक दायित्व एवं प्रांसगिक आस्तियां (लेखा मानक–29)

पूर्व घटना के परिणामस्वरूप जब कम्पनी का वर्तमान दायित्व होता है तो प्रावधान को मान्यता दी जाती है, यह सम्भावना है कि दायित्वों के निपटारे के लिये आर्थिक लाभों को अंगीभूत किये हुये संसाधनों के बाह्य प्रवाहों की आवश्यकता होगी एवं दायित्व की राशि का विश्वसनीय पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों का उनके वर्तमान मूल्य तक घटाया नहीं जाता है और प्रतिवेदित दिनांक को दायित्व के निपटारे के लिये उत्तम प्राक्कलन के आधार पर नियत किये जाते है। इन प्राक्कलनों का प्रत्येक प्रतिवेदित दिनांक को पुनर्विलोकन किया जाता है एवं चालू उत्तम प्राक्कलनों को दर्शाने के लिये समायोजित किये जाते है।

1.17 सामान्य

जहां कथित है उसके सिवाय लेखा नीतियां आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के साथ संगत में है एवं लगातार लागू की गयी है।

1.18 सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006

सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित प्रकट की जाने वाली सूचना का निर्धारण कम्पनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर पहचानी गयी ऐसे पक्षकारों की सीमा तक किया गया है। अंकेक्षकों द्वारा इस पर विश्वास किया गया है। वर्ष के दौरान बकाया मूलधन एवं ब्याज की राशि को नीचे दिया गया है:

विवरण	2016– 2017	2015– 2016
ए) 31 मार्च को राशि बकाया परन्तु देय नहीं	शून्य	शून्य
बी) 31 मार्च को राशि देय परन्तु अप्रदत्त–मूलधन	शून्य	शून्य
सी) वर्ष के दौरान नियत दिनांक के पश्चात् प्रदत्त राशि–मूलधन	शून्य	शून्य
डी) 31 मार्च को प्रोद्भूत एवं अप्रदत्त ब्याज की राशि–ब्याज	शून्य	शून्य
ई) 1 अप्रेल से भुगतान की वास्तविक दिनांक की अवधि के लिये आकलित देय एवं प्रदत्त ब्याज की राशि	शून्य	शून्य

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

कोर्पोरेट आईडेन्टिटी नं. – U40104RJ2015SGC048738

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी संख्या 1: अंशपूंजी (राशि रूपयों मे)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
<u>प्राधिकृत</u>		
प्रत्येक 100 रूपये मूल्य के 50,00,000 साम्या अंश	500,000,000	50,000,000
(गत प्रत्येक 100 रूपये मूल्य के 5,00,000 साम्या अंश)		
<u>निर्गमित, अभिदत एवं प्रदत्त</u>		
प्रत्येक 100 रूपये मूल्य के 50,00,000 साम्या अंश	500,000,000	-

1.1 कम्पनी के एक ही वर्ग के अंश यथा संदर्भित 100 रूपये के सममूल्य वाले अंश है। साम्या अंशों का प्रत्येक धारक प्रति अंश के लिये एक वोट का एवं कम्पनी द्वारा जब भी घोषित किये गये लाभांश हेतु हकदार है।

1.2 साम्या अंशों की संख्या का मिलान

विवरण	अंशों की संख्या	
	31.03.2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये	31.03.2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये
अवधि के प्रारम्भ में		
जोडियेः वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	5,000,000	-
वर्ष के अन्त में	**5,000,000**	**-**

1.3 प्रत्येक शेयरधारक जिसके पास 5 प्रतिशत अंशो से अधिक अंश है, कम्पनी के धारित अंशो का विवरण

अंशदाता का नाम	31.03.2017 को	31.03.2016 को
	धारित अंशों की संख्या	धारित अंशों की संख्या
राजस्थान सरकार	5,000,000	.
धारिता का प्रतिशत	100	.

टिप्पणी संख्या 2: आरक्षित एवं अधिशेष (राशि रूपयों मे)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
(ए) सिक्योरिटीज प्रीमियम खाता	.	.
प्रारम्भिक शेष	.	.
जोड़िये : वर्ष के दौरान जारी किये गये अंशों पर प्रीमियम	.	.
घटाइये : वर्ष के दौरान उपयोग किये गये	.	.
अन्तिम शेष	.	.
(बी) लाभ व हानि विवरण में अधिशेष / (घाटा)	.	.
प्रारम्भिक शेष	.	.
जोड़िये : वर्ष हेतु लाभ / (हानि)	.	.
घटाइये : ह्रास समायोजन	.	.
अन्तिम शेष	.	.
योग	.	.

टिप्पणी संख्या 3: अन्य चालू दायित्व (राशि रूपयों मे)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
<u>अन्य देयतायें</u>		
कर्मचारीवृन्द से संबंधित दायित्व	6,054,331	-
व्ययों हेतु दायित्व	5,809,645	10,000
प्रतिभूति जमा	8,197	-
वैधानिक दायित्व	2,571,918	-
अन्तः कम्पनी देयतायें (टिप्पणी 3.1 देखें)	9,784,469	801,736
योग	**24,228,560**	**811,736**

3.1 अन्तः कम्पनी देयताओं के लिये विस्तरित ब्यौरे (राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को देय राशि	3,400,468	293,479
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को देय राशि	2,364,404	254,128
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को देय राशि	4,019,597	254,129
योग	**9,784,469**	**801,736**

गैर–चालू आस्तियां

टिप्पणी 4: स्थिर आस्तियां (राशि रूपयों में)

विवरण		सकल समूह				संचित ह्रास				शुद्ध समूह	
	उपयोगी जीवन (वर्षों में)	01.04.2016 को शेष	परिवर्द्धन / (व्ययन)	अवधि के दौरान कटौतियां	31.03.2017 को शेष	01.04.2016 को शेष	वर्ष हेतु प्रभारित ह्रास	अवधि के दौरान कटौतियां	31.03.2017 को शेष	31.03. 2017 को शेष	31.03.2016 को शेष
ए) मूर्त आस्तियां											
कम्प्यूटर	3		46,670		46,670		9,131		9,131	37,539	
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	10		272,646		272,646		5,701		5,701	266,945	
कार्यालय उपकरण	5		151,425		151,425		6,044		6,044	145,381	
योग			470,741		470,741		20,876		20,876	449,865	
बी) अमूर्त आस्तियां (लेखा एवं टीडीएस साफ्टवेयर)'	3		200,675	-	200,675		15,294		15,294	185,381	
योग			200,675	-	200,675		15,294		15,294	185,381	
कुल योग (ए+बी)			671,416		671,416		36,170		36,170	635,246	
गत वर्ष के आंकड़ें											

लेखांकन एवं टीडीएस साफ्टवेयर को कम्पनी द्वारा यथा अमूर्त्त आस्तियों के मान्यता दी जा रही है एवं 3 साल के उपयोगी जीवन को विचारते हुये सीधी रेखा विधि द्वारा मूल्य ह्रास किया जा रहा है।

टिप्पणी संख्या 5: नकद एवं नकद समतुल्य (राशि रूपयों मे)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
हस्तगत रोकड़	.	.
बैंकों में शेष		
चालू खाता	1,554,263	5,001.00
योग	**1,554,263**	**5,001.00**

टिप्पणी 6 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम (राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
अन्य सरकारी कम्पनियों को ऋण एवं अग्रिम		
अप्रतिभूत, अच्छे विचारे गये		
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	200,000,000	-
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	140,000,000	-
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	160,000,000	-
स्त्रोत पर आय कर की कटौती	2,872,460	-
योग	**502,872,460**	**-**

*** राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् तीनों डिस्कोंमों को आरयूवीएनएल की साम्या अंश पूंजी में से 50 करोड़ रूपये का ऋण 10.75 प्रतिशत ब्याज दर पर आरम्भतः 6 माह की अवधि के लिये दिया गया है।**

टिप्पणी 7 अन्य चालू आस्तियां (राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
डिस्कोमों के ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज	4,108,560	-
अनबिल्ड राजस्व प्रोदभूत परन्तु देय नहीं	15,058,031	-
अपलिखित नहीं किये गये की सीमा तक विविध व्यय	-	806,735
योग	**19,166,591**	**806,735**

अनबिल्ड राजस्व प्रोदभूत परन्तु देय नहीं में, सेवाकर के प्रावधान के 1964091 रूपये की राशि सम्मिलित है।

टिप्पणी 8 संचालन से राजस्व (राशि रूपयों में)

विवरण	2016–17	2015–16
डिस्कोमों से सेवा प्रभारों के राजस्व	90,675,728	-
योग	**90,675,728**	**-**

सेवा प्रभारों के राजस्व में अनबिल्ड राजस्व के 1,30,93940 रूपये की राशि सम्मिलित है।

टिप्पणी 9 अन्य आय (राशि रूपयों में)

विवरण	2016–17	2015–16
ब्याज की आय (टिप्पणी 9.1 देखें)	11,997,946	-
अन्य गैर–संचालन आय (विविध प्राप्तियां)	34,330	-
योग	**12,032,276**	**-**

9.1 अन्य आय के ब्यौरे (राशि रूपयों में)

विवरण	2016–17	2015–16
बैंक में सावधि जमाओं से आय	5,518,496	-
डिस्कोमों के ऋण पर ब्याज	6,479,450	-
योग	**11,997,946**	**-**

डिस्कोमों के ऋण पर ब्याज में 4565068 रूपये की राशि मार्च, 2017 के माह के लिये प्रोद्भूत ब्याज सम्मिलित है।

टिप्पणी 10 कर्मचारी परिलाभ व्यय (राशि रूपयों में)

विवरण	2016–17	2015–16
वेतन एवं भत्ते (टिप्पणी 10.1 देखें)	68,372,439	-
अंशदान :		-
सीपीएफ	2,413,406	-
एफपीएफ	1,010,069	-
अधिवार्षिकी	3,603,723	-
ग्रेच्यूटी निधि	2,428,416	-
कर्मचारी कल्याण व्यय (टिप्पणी 10.2 देखें)	311,504	-
योग	**78,139,557**	**-**

10.1 वेतन एवं भत्तों के ब्यौरे (राशि रूपयों में)

विवरण	2016–17	2015–16
वेतन	26,345,879	-
महंगाई भत्ता	34,424,373	-
अन्य भत्ते	5,557,744	-
उपार्जित अवकाश का नकदीकरण	1,993,326	-
समूह बीमा योजना नीति के अन्तर्गत भुगतान	41,808	-
वाहन व्यय	9,309	-
योग	**68,372,439**	**-**

10.2 कर्मचारी कल्याण व्ययों के ब्यौरे (राशि रूपयों में)

विवरण	2016–17	2015–16
चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	281,604	-
वर्दी एवं पोशक व्यय	29,900	-
योग	**311,504**	**-**

टिप्पणी 11 ह्रास (राशि रूपयों में)

विवरण	2016–17	2015–16
कम्प्यूटर	9,131	-
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	5,701	-
कार्यालय उपकरण	6,044	-
अमूर्त आस्तियां	15,294	-
योग	**36,170**	**-**

टिप्पणी 12 अन्य व्यय (राशि रूपयों में)

विवरण	2016–17	2015–16
कानूनी प्रभार	14,861,849	-
शुल्क एवं अंशदान	3,581,600	-
वाहनों का किराया प्रभार	2,198,424	-
अन्य व्यय	3,028,479	-
अंकेक्षकों को भुगतान	-	-
(ए) यथा अंकेक्षक	53,690	-
(बी) कराधान मामलों के लिये	-	-
(सी) अन्य सेवाओं के लिये	-	-
योग	**23,724,042**	**-**

टिप्पणी 13 पूर्व अवधि की मदें (राशि रूपयों में)

विवरण	2016–17	2015–16
विविध व्यय–गत वर्ष– 2015–16	806,735	-
व्यावसायिक शुल्क–स्टार्ट अप 34350	-	-
निगमन आरओसी शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क 758910	-	-
बैंक प्रभार 3475	-	-
अंकेक्षण शुल्क 10000	-	-
अंकेक्षण शुल्क– सेवा कर– 2015–16	1,500	-
योग	**808,235**	**-**

टिप्पणी 14 प्रतिअंश उपार्जन (राशि रूपयों में)

	2016–17	2015–16
साम्या अंशधारकों के लिये उपलब्ध शुद्ध लाभ	-	-
साम्या अंशों की भारित औसत संख्या	1,979,452	-
मूल एवं मन्दित ईपीएस	-	-
अंकित मूल्य	100	100

टिप्पणी 15 अन्य प्रकटीकरण

15.1 संबंधित पक्षों के संव्यवहार

ए. संबंधित पक्षों की सूची जिन पर नियंत्रण विद्यमान है– शुन्य

बी. संबंधित पक्षकार जिनके साथ संव्यवहार हुये है एवं उनसे संबंध का विवरण

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पद	अवधि
1 श्री संजय मल्होत्रा	अध्यक्ष	01.04.2016 से 31.03.2017
2 श्री भास्कर ए. सावंत	प्रबंध निदेशक	01.04.2016 से 28.04.2016
3 श्री बन्ना लाल	प्रबंध निदेशक	18.07.2016 से 31.03.2017
4 श्री टी.पी.एस. ढिल्लन	निदेशक एवं पूर्णकालिक निदेशक	01.04.2016 से 11.08.2016
5 श्री आर.जी. गुप्ता	निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017
6 श्री एन.एम. माथुर	निदेशक	01.04.2016 से 06.10.2016
7 श्री हेमन्त कुमार गैरा	निदेशक	01.04.2016 से 28.04.2016
8 सुश्री आरती डोगरा	निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017
9 श्री बी.के. दौसी	निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017
10 श्री अरूण कुमार गुप्ता	निदेशक	01.04.2016 से 08.02.2017
11 श्री प्रवीण गुप्ता	निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017
12 श्री श्रीमत पाण्डे	निदेशक	28.05.2016 से 31.03.2017
13 श्री अनिल कुमार बोहरा	निदेशक	10.06.2016 से 31.03.2017
14 श्री सर्वेश कुमार तिवाड़ी	निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी	25.07.2016 से 31.03.2017
15 श्री एम.आर. विश्नोई	निदेशक	06.10.2016 से 31.03.2017
16 श्री आर.के. श्रीवास्तव	पूर्णकालिक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	24.11.2016 से 31.03.2017
17 श्री एन.के. कोठारी	निदेशक	07.12.2016 से 31.03.2017

सी. संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहारों का ब्यौरा

वेतन एवं भत्ते (रूपये)	2,270,071
पेंशन / सीपीएफ / ग्रेच्यूटी निधि के प्रति अंशदान (रूपये)	59,141
योग	**2,329,212**

15.2 उत्तरवर्ती कम्पनियों के मध्य ऋणों के अतिरिक्त, अन्तर कम्पनी लेने–देने के संबंध में वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई ब्याज / अधिभार न तो प्रभारित किया गया है न ही भुगतान किया गया है।

15.3 आकस्मिक देनदारियां एवं प्रतिबद्धतायें (इसके लिये प्रदान नहीं की गयी सीमा तक)

(ए) कम्पनी के विरूद्ध दावें जिन्हे यथा ऋण के स्वीकार नहीं किया गया –शून्य

(बी) प्रत्याभूतियां–शून्य

(सी) अन्य धन राशि जिसके लिये कम्पनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है–शून्य

15.4 स्थायी आस्तियों और गैर–चालू निवेश के अतिरिक्त, कोई भी आस्ति का मूल्य व्यवसाय के सामान्य तरीके में प्राप्त पर जिस राशि पर वे कथित है, के समान नहीं है।

15.5 कार्पोरेट मामलात मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 17 / 62 / 2015–सीएल –वी(खण्ड– I) दिनांक 30 मार्च, 2017 के संबंध में प्रकटीकरण। 08.11.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान धारित एवं संव्यवहृत निर्दिष्ट बैंक नोटों का विवरण निम्न प्रकार है:

विवरण	निर्दिष्ट बैंक नोट	अन्य मूल्यवर्ग	योग
08.11.2016 को हस्तगत राशि	-	-	-
(+) अनुज्ञात प्राप्तियां	-	-	-
(–) अनुज्ञात भुगतान	-	-	-
(–) बैंकों में जमा की राशि	-	-	-
30.12.2016 को हस्तगत राशि	-	-	-

15.6 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट माप दण्डों के अनुसार सभी आस्तियों और दायित्वों का यथा चालू अथवा गैर–चालू के प्रस्तुत किया है। उत्पाद की प्रकृति, पावर उत्पादन प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन के आधार पर कम्पनी ने अपने प्रचालन चक्र को 12 महिनें का अभिनिश्चित किया हैं। तद्नुसार, आस्तियों एवं दायित्वों के चालू/गैर चालू वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ 12 महिनें की अवधि विचारित की है।

15.7 गत वर्ष एवं चालू वर्ष के अंको को निकटत्तम रूपये में पूर्णांकित किया गया है। विगत वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनः समूहित एवं पुनः व्यवस्थित किया गया है।

हमारी समतिथि की पृथक रिपोर्ट के अनुसार
बाफना एण्ड एसोसिएट्स के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस
एफ.आर.एन. 001408सी

सिद्धार्थ बाफना
साझेदार
सदस्यता सं. 405227

सर्वेश तिवाड़ी
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन–06860955

निदेशक मण्डल
राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
(सीआईएनः U40104RJ2015SGC048738)
के लिये एवं निमित्त

आर.के. श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक
डीआईएन–07673675

संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष
डीआईएन–00992744

डी.के. जैन
मुख्य लेखाधिकारी

शिल्पा सोगानी
कम्पनी सचिव
स.सं. एफ 8577

स्थान : जयपुर
दिनांक 22.08.2017

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका–टिप्पणी

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत विर्निदिष्ट वित्तीय प्रतिवेदन ढ़ाचे के अनुरूप तैयार करना कम्पनी प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित अंकेक्षण के मानकों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत स्वतंत्र अंकेक्षक के आधार पर प्रकट करना है। यह उनके अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक 22 अगस्त, 2017 द्वारा किया जाना व्यक्त किया है।

मैने, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के निमित अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के अन्तर्गत राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक अंकेक्षण संचालित किया है। इस अनुपूरक अंकेक्षण को स्वतंत्रतापूर्वक वैधानिक अंकेक्षकों के कार्य दस्तावेजों के बिना अभिगमन् किये, निष्पादित किया है तथा मुख्यतः वैधानिक अंकेक्षकों की जांच एवं कम्पनी कार्मिक व कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनित जांच तक सीमित है। मेरे द्वारा किये गये अंकेक्षण के आधार पर ऐसा कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य मेरे ध्यान में नहीं आया जिससे कोई टिप्पणियां वैधानिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट में जोड़ बंध हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए व निमित्त

ह0/–
(अनादि मिश्रा)
महालेखाकार (इ एवं आर एस ए)
राजस्थान, जयपुर

स्थान :– जयपुर
दिनांक :–26.09.2017